5.34 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Substitution of article 6)

श्री विनायक प्रसाद यादव (महरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह जो संविधान (संशोधन) विधेयक मैं लाया हूं, उसका उद्देश्य स्पष्ट है । इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में मैंने कहा है "वर्णाश्रम और द्विजवाद पर आधारित भारतीय समाज के वर्तमान गठन से आबादी की बहुसंख्यक तादाद मानसिक और आर्थिक तौर पर लुंज बन गई है । इसके फलस्वरूप आबादी के सिर्फ 10 प्रतिशत संप्रदाय ने सरकारी, अर्द्धसरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की 90 प्रतिशत जगहों पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है । पत्तन आये दिन कमजोर वर्गों पर हमला, कत्लेआम और आगजनी की घटना बढ़ती जा रही है । इस विधेयक का उद्देश्य उपरोक्त एकाधिकार का समाप्त करना और समाज तथा प्रशासन में व्याप्त असंतुलन को दूर करना है ।"

हमारा जो संविधान है, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप देखें और आर्टिकल 16 (4) को आप पढ़ें तो उसमें यह स्पष्ट है—

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State"

यह प्रावधान संविधान में पहले से है । लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान को लागू हुए 30-31 साल हो गए । इस 30-31 साल में जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड समाज है, उनकी स्थिति और बिगड़ी है । उनका रेप्रेजन्टेशन सर्विसेज में इनएडीक्वेट को कौन कहे, जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है कि इनएडीक्वेट रेप्रेजन्टेशन है तो स्टेट को कानून बना कर उनको उनकी आबादी के अनुसार सरकारी नौकरियों में जगह देनी चाहिए, वह प्रावधान रहते हुए भी गत तीस सालों में स्थिति यह हो गई है कि इनएडीक्वेसी का कौन पूछे, इनका रेप्रेजन्टेशन बिल्कुल नगण्य हो गया है, कोई रेप्रेजन्टेशन ही नहीं है । अंग्रेजी हुकूमत में जितना था उससे भी घट गया है । इसका कारण है कि आजादी के बाद एक सिद्धान्त चलाया गया "इक्वलिटी आफ अपार्च्युनिटी" का, "समान अवसर का सिद्धांत" चलाया गया कि हर एक नागरिक को हर अपार्च्युनिटी समान रूप से मिलेगी और किसी के साथ जाति वगैरह का भेदभाव नहीं किया जायगा । यह एक सिद्धान्त गढ़ा गया । मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि आजाद हिन्दुस्तान में इससे ज्यादा धोखाधड़ी का सिद्धान्त कोई दूसरा नहीं चलाया गया । फर्ज कीजिए कि आप एक साइकिल का रेस करवाना चाहते हैं । जब रेस शुरू होता है तो कुछ लोगों को दौड़ने देते हैं और 15 मिनट के बाद फिर एक जत्थे को कहते हैं कि दौड़ो और कहते हैं कि जो पन्द्रह मिनट पहले दौड़ा है उससे तुम कम्पीट करो, तो क्या यह कभी संभव है कि वह उसको कम्पीट कर सके ? यहां तो भारतीय समाज का बहुसंख्यक वर्ग तीन हजार वर्ष पीछे छूट गया । कैसे बराबरी कर सकेगा ?

अभी हिन्दुस्तान के समाज की क्या स्थिति है ? समाज का अधिकांश समुदाय लुंज बन गया है । वह किसी काम का नहीं रहा और उसका सरकारी नौकरियों में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है । ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे यहां हजारों वर्ष से यह सिद्धांत था, एक मनु भगवान की व्यवस्था थी वर्णाश्रम धर्म और द्विजवाद की कि फला जाति और फला वर्ग ही विद्या पढ़ सकता है । मनुस्मृति का आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि जो शूद्र है या जो वैश्य है, उसका विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं है । यहां तक लिखा हुआ है कि यदि शूद्र के कान में वेद वाक्य चला जाय या ज्ञान की बात चली जाय तो उसके कान में गरम सीसा घोल कर डाल दिया जाय । यह है मनुस्मृति की व्यवस्था और उसके अनुसार लगभग तीन चार हजार वर्ष तक इस देश का शासन चला । इसी का नतीजा हुआ कि 90 प्रतिशत या 80 प्रतिशत लोग साक्षर्स और एजुकेशनली बैकवर्ड हो गए, उनको पढ़ने की अपार्च्युनिटी नहीं दी गई, उनको ज्ञान की कोई बात नहीं सुनने दी गई । इसी का नतीजा यह हुआ है कि अधिकांश आबादी सरकारी नौकरियों से, इज्जत की जगह से महरूम कर दी गई है और मुट्ठी भर, दस प्रतिशत आबादी का हिस्सा जो द्विज है उसी का वर्चस्व हो गया, उसी की मोनोपोली हो गई । सरकारी नौकरी में, इज्जत की जगहों में और समाज के हर क्षेत्र में अन्य लोगों को पीछे धकेल कर वे अगुवा बन गये । जो संविधान बनाने वाले थे—चाहे अम्बेदकर साहब हों, डा० राजेन्द्र प्रसाद हों या दूसरे लोग हों—उन्होंने इस असंतुलन का समझा और इसीलिए उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 16(4) का प्रावधान किया ताकि इस असंतुलन को समाप्त किया जाए । लेकिन देश आजाद होने के बाद तीस साल तक कांग्रेस की हुकूमत चली फिर भी आज तक इस असंतुलन को खत्म करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई बल्कि इस अन्याय और असन्तुलन को बरकरार रखने के लिये "समान अवसर" के सिद्धान्त को गढ़ लिया गया ।

[श्री विनायक प्रसाद यादव]

जहां तक हरिजन आदिवासियों का सवाल है, आज भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उनके लिए 30–31 साल से रिजर्वेशन है लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हुआ है। केवल 3–4 प्रतिशत लोग ही नौकरियों में आ सके हैं। इस संबंध में संविधान में अनुच्छेद 335 का प्रावधान है

"The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State."

हरिजन आदिवासियों के लिए संविधान में प्रावधान है इसलिए कानून बनाया गया कि सरकारी नौकरियों में इतनी जगहें उनको मिलनी चाहिए लेकिन पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसका नतीजा यह है कि सरकारी नौकरों में उनका रिप्रेजेन्टेशन उनकी आबादी के हिसाब से तो कहना ही क्या, एक प्रकार से उनका रिप्रजेन्टेशन नगण्य है। विगत तीस सालों में हरिजन आदिवासी की नौकरियों में बहाली की गई है लेकिन जो मुसलमान समुदाय है उसकी हरिजनों से भी बुरी हालत बना दी गई है। यदि वही व्यवस्था चलती रही तो मैं समझता हूं 5–10 साल के बाद इस देश में कोई भी मुसलमान दारोगा नहीं मिलेगा, कोई मुसलमान मजिस्ट्रेट नहीं मिलेगा—आई ए एस और आई पी एस की तो बात ही छोड़ दीजिए। इससे चलते मुसलमानों की हालत हरिजन, आदिवासी तथा पिछड़ी जाति के लोगों से भी बुरी हो जाएगी।

उपरोक्त स्थिति को ही ध्यान में रखकर मैंने मौजूदा संविधान/संशोधन) बिल प्रस्तुत किया है। चाहता हूं कि मौजूदा अनुच्छेद (16) कब बदल कर, दिया जाए। इसके द्वारा अभी जो जानकारी नौकरियों में असंतुलन है, जो अव्यवस्था है और जो अन्याय है वह समाप्त हो जाएगा तथा समूचे देश का विकास सम्भव होगा। जब तक प्रशासन में पूरे समाज का पार्टिसिपेशन नहीं होगा देश मजबूत नहीं होगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद (340) में है कि सोशली, एजूकेशनली पिछड़ी हुई जातियों के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा और उसकी रिपोर्ट आने बाद उनके संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। आप जानते हैं कि 1953–54 में काका कालेलकर कमीशन गठित किया गया था जिसने रिपोर्ट भी दी लेकिन आज तक उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, कोई विचार नहीं किया गया। अब एक कांट्रोवर्सी अलग से शुरु कर दी गई है कि पिछड़ी जाति का क्राइटीरिया क्या हो सकता है—आर्थिक क्राइटीरिया होगा या सामाजिक क्राइटीरिया होगा? जहां तक संविधान का सवाल है, उसमें स्पष्ट है कि जो सामाजिक रूप से, जाति के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से पिछड़े हुए हैं वही पिछड़ी जाति के समझे जायेंगे। लेकिन फिर भी एक कांट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई। मैं समझता हूं मेरे इस बिल पर विचार करने और पास करने के बाद जो एनामली है, जो अन्याय फैला हुआ है वह समाप्त किया जा सकेगा। अभी सैकड़े में दस प्रतिशत की आबादी वाले समुदाय ने 90 प्रतिशत जगहों पर दखल कर रखा है और जो 80 प्रतिशत आबादी है, उस को 5 परसेन्ट, और यहां तक कि 3 परसेन्ट भी जगहें न दी जाएं, तो यह समाज चल नहीं सकता है और यह देश टूट जाएगा यदि इस चीज को खत्म नहीं किया जाएगा। इसीलिए इस उद्देश्य से यह मौजूदा संविधान (संशोधन) विधेयक, आप के जरिये इस सदन के विचार के लिए मैंने प्रस्तुत किया है और मैं समझता हूं कि इस पर सदन अच्छी तरह से विचार करेगा फिर इस को पास करेगा।

इतना कह कर मैं बैठता हूं।

श्री दीनेश भट्टाचार्य (सीरमपुर) : बुनियादी बात क्या है? what do you want?

श्री विनायक प्रसाद यादव : बुनियादी बात यह है कि जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड डिफाइन्ड हैं आप के संविधान में, उन को जैसा संविधान में लिखा हुआ है, उस के अनुसार सरकारी नौकरियां दी जाएं। यदि कोई स्टेट यह समझती है कि किसी समुदाय का सरकारी नौकरियों में इनएडीक्वेट रेप्रजन्टेशन है तो इस के लिए कानून बना कर उन की आबादी के अनुसार उन्हें सरकारी नौकरियों में जगह दी जाए। यह संविधान में भी लिखा हुआ है लेकिन आज से 30–31 साल पहले संविधान में लिखे जाने पर भी इस बात को कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसलिए हमारे इस विधेयक का उद्देश्य यही है कि पवित्र संविधान में जो वाजिब चीज लिखी हुई है उस को करने के लिए अगर संविधान में कोई खामी है, तो उस को दूर करने की व्यवस्था की जाए और इस देश में जितने लोग हैं, उन को उन की आबादी के अनुसार उन का उचित हिस्सा मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में। जैसे आपको जमीन के बंटवारे की बात बहुत ज्यादा पसन्द होती है, उसी तरह से आप को सहानुभूतिपूर्वक इस पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि यदि कुछ लोगों को जमीन के जरिये से जीविका मिलती है तो उसी तरह से कुछ लोगों को सरकारी नौकरियों के जरिये से जीविका के साधन मिलने चाहिए। जैसे पेट भरने के लिए जमीन का बंटवारा आवश्यक है, उसी तरह से इस देश में कुर्सी का बंटवारा जब तक आबादी के अनुपात में नहीं होगा, जब तक समानता का समाज कायम नहीं हो सकता है और आप चित्त बसु साहब समाज में समानता लाने के बहुत एडवोकेट हैं। इसलिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि हमारे दर्द को भी आप समझें। सैकड़ों में 80 आदमी अगर कुर्सी से अलग कर दिये जाएं,

तो समानता का समाज नहीं बन सकता चाहे वह बिहार हो, चाहे बंगाल हो और चाहे वह हरियाणा हो या काश्मीर हो। इस बात को आप समझिये। तभी समाज में समानता स्थापित होगी और हम यह समझते हैं कि जैसा हमारा भाषण हुआ, वैसे ही आप भी तर्कपूर्ण और जोशीला भाषण देंगे और इस में आप सब हमारा साथ देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना विधेयक पेश करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

Mr. Lakkappa.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I have gone through the entire Bill. I cannot agree with all the provisions of the Bill which have been slated down in it because some of the provisions would give rise to legal complications and controversies. My hon. friend has put forth his idea with a social objective in the statement of objects and reasons:

"The present Indian social structure based on Casteism and Brahminism has mentally and physically crippled a majority of our population."

Let us not attack any particular caste while discussing this Bill. We have to attack the whole caste system. There is no such thing as the domination of Brahmins or Rajputs or Jats or any one community. We must oppose the entire system of Casteism, wherever it prevails. Within the framework of the society that we have adopted in our Constitution, there should be a structural change, socio-economic change in our country in a democratic manner. A lot of changes are necessary. Although our Constitution envisages the social system, we have not yet achieved that goal. Our society has not developed as fast as we desire. That is where, the Members of Parliament, from this side as well as that side, are educating the people about their rights and privileges.

My hon. friend, the mover of the Bill, is from Bihar. I would say that Bihar is a caste-ridden State. In every State, the casteism is there. Casteism can be controlled provided it is controlled by a political will and political power. In addition to that, there is an economic power, the concentration of economic power in the hands of a few people. Therefore, the regrouping, the restructuring, of the society is very necessary. The constitutional changes alone will not be enough. It is very necessary to see that socio-economic changes are supported by the political will, the political power of the State.

It has been rightly said that there is a monopoly of political power or the tentacles of political power in the hands of a caste-ridden society or a group of caste people or a dominating economic class, like, Birlas and Tatas. Even though they are in a minority, even though Birla-Tata group of industrialists are in a minority, they have got the economic power; there is a concentration of economic power in the hands of a few people. They are controlling not only the economic growth of this country but they are also controlling the gainful employment.

Take, for example, the Birlas today. The Birla-group industrial houses start industries and they control the entire system of Government machinery through which they generate employment and through which they spread their own kith and kin. For instance, there is the Hindustan Motors. They alone employ more than 4000 people belonging to the Birla families. This is what is happening. It is so even in the case of ancillary units. I read an article in a newspaper where it was stated that 400 families belonging to the Birla group are controlling the raw material and the ancillaries around big industries. All appointments right from the lowest, the chaprasis, to the highest level have been given to their own families. Where is the guarantee under article 16 or under the provisions of the Constitution for any citizen of this country to get jobs?

[Shri K. Lakkappa]

Today, an explosive situation of unemployment problem is there and it is mounting up. Last time, I brought forward a Bill on the Employment Guarantee Scheme in order to create confidence in the minds of the younger generation of people. But the reply given by the hon. Labour Minister, Shri Ravindra Varma, was that even the registers of Employment Exchanges did not give the correct number of unemployed people, literate or illiterate, skilled or unskilled, graduates or undergraduates, in this country. This is the situation prevailing in the country today.

Certain socio-economic changes are very necessary. I do not know whether the present Government is capable of bringing about any meaningful changes let alone how the democratic system has been set up. The other day, my hon. friend, the Industry Minister, Mr. George Fernandes, reeled out certain figures I do not know how the figures have been prepared. He said that there is 8 per cent growth in industry. He has also said that they are bringing meaningful employment and other changes by introducing small scale industries, development of khadi and all those things. But I do not see any changes in this country; I have not seen any changes in the country in the last two years. Why is my hon friend not asking the present Government to bring about these changes? I do not know to which unit of the Janata Party he belongs, whether Jana Sangh or Swatantra or any other unit. Will he bring political pressure and political compulsions on the entire Party and see that meaningful changes are brought about by the present Government? But I know that the Janata Government is not for any of these changes in the society; they are not for breaking the monopoly of the monopoly houses. They are only regrouping the industrialists. They are bringing the multi-nationals from West Germany and other countries and are regrouping them because they are milk-yielding cows for them, they grease their palms. Therefore, how can you expect any changes from the present Government? I want my hon. friend to revolt from the Party. I know, the Janata Party is not for making any of these social changes What has happened in the last two years? Have they brought any changes in the society? Have they brought any revolutionary methods to protect the backward communities and other weaker sections of the society and to make them feel secure? *(Interruptions)*

AN HON. MEMBER: What is your philosophy?

SHRI K. LAKKAPPA: What is your philosophy, I want to know. Are you defending this Government? In Karnataka we have brought meaningful changes, we have implemented the 20-point programme, we have brought about many changes. We have created the consciousness among the backward classes to fight for their rights We have brought about revolutionary changes even in the social system Where a person has an annual income of Rs. 4,000 he will get not only land but also interest-free loans; and those people whose annual income is less than Rs. 4,000, they need not pay back to the money-lenders. We have done this to break the backbone of the money-lenders. We have also abolished the bonded-labour system. *(Interruptions)* What is your policy in West Bengal? Have the 'Communists', the 'Progressives', made any changes there? We have introduced land reforms in Karnataka. It may not be a hundred per cent.

But you have not even started? You have not done even one per cent. You only make slogans. You capture innocent people and parade them in the streets. Is it bringing socialism? You ask Mr. Saugata Roy. Was there any change in West Bengal? All those people who agitated for various changes were kept in the lock-up. And you are challenging Karnataka! We have done something in Karnataka. You better try to copy us. Ask Mr. Jyoti Basu to come to Karnataka and see. You must bring about the necessary changes in the society. It is

no use only criticising the vokkaligas or lingayats or any other community. But you must abolish casteism and you must bring in meaningful social reform measures.

16 hrs.

I welcome this but unfortunately the provisions have to be changed. I do not know how it will stand the legal test. However, the idea which is introduced in this is welcome. I want that the society should be changed also. Socio-economic changes are very necessary. Today, especially as far as the unemployment problem is concerned, the present Government has not been able to bring any changes in the last two years. We have been observing that. We know there are people on the other side who are conscious of the need of changes in the society and they believe in socio-economic changes. You must give guarantee of employment to the unemployed youth. Otherwise they will rise in revolt against the present government and if any member on that side would bring forward any measure with a meaningful change, we will all support it.

Sir, anyway, I welcome the Bill of the hon. Member.

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य श्री विनायक प्रसाद यादव ने जो संशोधन विधेयक उपस्थित किया है उसकी भावना बहुत ही उदात्त है। सचमुच में भारतवर्ष और खास कर हिन्दू समाज का अगर सबसे बड़ा दोष है तो वह जाती व्यवस्था है। यह ठीक है कि जिस जाति व्यवस्था को हम इतना दोष देते हैं, उसके मूल में वर्ण व्यवस्था है और जैसा वेद में बताया गया है :-

ब्राह्मणोऽस्य मुखं आसीत्,
बाहू राजन्यः कृतः
तदुरुवैश्यं
पद्भ्यां शूद्रोअजायत ॥

वेद में जो वर्ण व्यवस्था कही गई है, उसमें जाति व्यवस्था कहीं नहीं है। इसलिये गीता में भी जब भगवान ने कहा है:—

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः
तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारं वयं।

हिन्दू समाज का जो तीसरा बड़ा ग्रन्थ है प्रामाणिक मनु स्मृति, उसमें भी जाति व्यवस्था नहीं है, वहां भी क्षत्रिय के कर्म हैं, ब्राह्मण के कर्म हैं, तो, कर्मणा जाति, लेकिन यहां तो जन्मना जाति है। इसलिये यह वर्ण व्यवस्था भारतवर्ष में नहीं है, अभी वर्ण अव्यवस्था है। इसलिये इस वर्ण अव्यवस्था को जितना शीघ्र हम समाप्त कर सकें, वह अच्छा होगा।

16.03 hrs

[SHRI N. K. SHEJWALKAR *in the Chair.*]

यह बात ठीक है कि आज हमें इसके सम्बन्ध में जब सोचना चाहिये कि कैसे समाज को उठा सकते हैं तो बाइबल की एक कहानी है:—

Upto the last.

जो पीछे है, उसको ऊपर आना चाहिये। गांधी जी ने भी अन्त्योदय से सर्वोदय की शुरुआत करने के लिये कहा। यह सही बात है कि भारत का जब संविधान बनने लगा था, तो हरिजन आदिवासियों को संरक्षण दिया गया था। लोग कहते हैं कुछ दिन बाद पिछड़ी जाति के लोगों को भी संरक्षण देने की बात चली और करीब 9 प्रान्तों में तो उन्हें संरक्षण दिया गया है। लोग इससे उत्तेजित हो जाते हैं और कहते हैं कि यह संरक्षण क्यों, क्या यह समाजवाद के खिलाफ नहीं है।

हमारे श्री जेठमलानी जी संविधान के ज्ञाता हैं, वह तुरन्त कह सकते हैं कि भारत के संविधान की धारा 14, जिसमें सब को समान अवसर है, इसके खिलाफ है, लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि सचमुच में समाजवाद और समान अवसर किस के लिये? प्रो. हेराल्ड लास्की ने कहा था:—

"To talk of equality between unequals is unjust."

इस लिए समाज में जो असमान हैं, उनके लिए समान अवसर की बात करना गलत होगा। इस समाज पर, द्विज समाज पर, माननीय सदस्य, श्री यादव, का इतना आक्रोश है। मैं समझता हूं कि वह आक्रोश हमें सहना चाहिए।

आज रिजर्वेशन की बात चल रही है, लेकिन भारतवर्ष में पांच हजार वर्ष से रिजर्वेशन रहा है। यह अलग बात है कि वह रिजर्वेशन कुछ खास वर्गों के लिए था। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि ब्राह्मण मंत्री और क्षत्रिय राजा हुआ करता था। एक दो अपवादों को छोड़ कर—जैसे, चन्द्रगुप्त और छत्रपति शिवाजी महाराज को छोड़ कर—यही व्यवस्था रही। आक्रोश करने से काम नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कि अगर हम ऐसे पिछड़े हुए और अयोग्य लोगों को अधिकार दे देते हैं, तो शायद वे सब कुछ नष्ट कर देंगे। लेकिन चन्द्रगुप्त को अवसर मिला, और यह सिद्ध हो गया कि भारतवर्ष के इतिहास में इतना कुशल शासक कोई नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके राज्याभिषेक के अवसर पर आशीर्वाद देने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं मिला। उन्हें समर्थ रामदास से आशीर्वाद मिला। इतिहास में उनका अपूर्व स्थान है।

जब ब्रिटिश वाइसराय ने डा. भीमराव अम्बेडकर से पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप क्यों नहीं छोटी मोटी नौकरियां लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप हमारे लोगों को शीर्षस्थ स्थान देंगे, तो वे हमारे लोगों पर होने वाले अन्याय को रोक सकेंगे। इसी लिए डा. अम्बेडकर जिस स्थान पर थे, अगर वह

[डा० रामजी सिंह]

वहां पर न रहते, तो शायद हरिजन और आदिवासी उतना न बढ़ सकते, जितना कि वे बढ़ सके हैं ।

जहां तक आरक्षण का सम्बन्ध है, अगर हम आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से विचार करें, तो अन्त्योदय से ही सर्वोदय का प्रारम्भ होता है । अभी मैंने बाइबल का वचन बताया है अनटु दि लास्ट । अगर हम समाजवाद के दृष्टिकोण से विचार करते हैं, तो हमें इस बात को मानना चाहिए कि दि टाक आफ ईक्वैलिटी बिटवीन अनईक्वल्ज इज अनजस्ट । इसी लिए डा० राम मनोहर लोहिया ने स्पष्ट कहा था कि जो समाज में दबे हुए और पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए विशेष अवसर का सिद्धान्त होना चाहिए ।

हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान में यह व्यवस्था की कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो सोशली एंड एजूकेशनली बैकवर्ड हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाये, और इस बात की जांच होनी चाहिए कि कौन लोग सोशली एंड एजूकेशनली बैकवर्ड हैं । इस के फलस्वरूप काका कालेलकर की अध्यक्षता में बैकवर्ड क्लासिज कमीशन बना था । जब बिहार में फार्वर्ड और बैकवर्ड की अग्नि-शिखा जली, तो मैंने उनसे मिल कर पूछा कि बिहार अग्नि में जल रहा है उसके बारे में आप क्या कहते हैं । उन्होंने बड़े दर्द से कहा कि मैंने बीस वर्ष पहले जो रिपोर्ट दी थी, उसको आप लोगों ने कार्यान्वित नहीं किया, अगर उसका कार्यान्वयन कर लिया होता, तो इन बातों की आवश्यकता न पड़ती, लेकिन मैं किस को दोष दूं किसको न दूं ?

उस बैकवर्ड क्लासिज कमीशन की रिपोर्ट पर संसद में शायद बहस हुई, लेकिन उसकी किसी भी सिफारिश का कार्यान्वयन नहीं हुआ । इसलिए पिछड़े हुए और दबे हुए लोगों के दिलों में जो भावना है कि उन्हें न्याय नहीं दिया गया है, वह सही भावना है ।

आज हम केवल नौकरियों में रिजर्वेशन की बात करते हैं । नौकरी कितने परसेंट लोगों को मिलती है ? काका साहब कालेलकर ने दो वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अपनी रीकमेंडेशन्ज दी थी । उन्होंने कहा था कि हमें देखना चाहिए कि जो दबी, उत्पीड़ित, पद-दलित मानवता है, हम उसको हर एक क्षेत्र में—सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में—कैसे उठा सकें । लेकिन हम लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज केवल सर्विसेज की बात होती है । सर्विसेज के बाद में उन्होंने समीक्षात्मक रूप से भी विचार किया था और कहा था कि यह सिद्धांत गलत है ।

"I am definitely against reservation in government services for any community for the simple reason that the services are not meant for the servants but they are meant for the service of the society as a whole. Administration must have the service of the best men available in the land and these must be found in all communities. Reservation of posts for certain backward communities would be as strange as reservation of patients for particular doctors. The patients are not meant to supply adequate or proportionate clientele to all the doctors whatever their qualifications."

लेकिन इस के बावजूद भी उन्होंने सारी अनुशंसा की है और कहा है कि 49 प्रतिशत तक हो सकता है । केवल नौकरियों की ही बात नहीं है हम तो केवल एक पक्ष लेते हैं । उन्होंने जब यह कहा कि कौन बैकवर्ड और कौन फारवर्ड है, इस का क्राइटेरिया क्या है, तो उस के उन्होंने 15 मापदण्ड बनाए हैं । लोग कह देंगे कि यह तो बैकवर्ड क्लास की बात है । वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने दिया है कि पिछड़ा कौन है ? सचमुच में आज शैड्यूल्ड कास्ट में और बैकवर्ड क्लास में कोई अगर बड़ा समृद्ध शिक्षा और अर्थ में हो गया है और वह अगर संरक्षण मांगता है तो समाजवाद के सारे सिद्धान्त का वह हनन करता है । ये पन्द्रह मापदण्ड उन्होंने बनाए हैं —बैकवर्ड कौन है—वीमेन, औरत बैकवर्ड है और पुरुष फारवर्ड है । ग्रामीण क्षेत्र में जो है वह बैकवर्ड और शहरी क्षेत्र में जो है वह फारवर्ड । अपने हाथ से काम करने वाले बैकवर्ड और केवल सुपरवाइज करने वाले जो हैं वह हैं फारवर्ड ।

Those labouring under the sum and the open air are backward

मैं सारा नहीं पढूंगा । इस तरह से 15 क्राइटीरिया उन्होंने बताए हैं । ये पन्द्रह जो मापदण्ड हैं इनकी कसौटी पर डाल कर के उन्होंने निर्णय लिया था । इसीलिए उन के सिद्धान्त को, उन की अनुशंसाओं को अगर हमारी पिछली सरकार ने नहीं माना है तो यह बड़ा दोष है । सचमुच में कोई सनातन काल के लिए इस संरक्षण की मांग नहीं की गई थी । यानी जो दबे हुए हैं, उन को थोड़ी दूर तक हम सहारा दे कर उठा देते हैं ताकि सब के बराबर आ जांय, तब आर्टिकिल 14 जो ईक्वल उपार्च्युनिटी का सिद्धान्त है वह चलेगा । जब तक वह दबे हुए हैं तब तक विशेष अवसर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, यही समाजवाद का और जनतंत्र का लक्ष्य है । यही कारण है कि उस समय जब यह शुरू हुआ था तो दक्षिण में तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आन्ध्र में और महाराष्ट्र में भी यह सब रिजर्वेशन उसी समय से है । हमारा एक लड़का है दीनेन भट्टाचार्य जी की पार्टी में । नम्बूद्रीपाद जी जब बिहार में आए थे तो उस ने कहा कि रिजर्वेशन के पक्ष में आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हैं ? तो उन्होंने कहा कि यह जो रिजर्वेशन के खिलाफ हल्ला हो रहा है

This is a mass hysteria. Neither you can check it nor can I. Therefore, I did it in Kerala 20 years ago but

this hardly solves 1 per cent of the unemployment problem.

और इसीलिए आज मैं यह कहना चाहूंगा कि यह रिजर्वेशन की बात हम आज करते हैं, लेकिन जिस देश में 70 प्रतिशत आदमी गरीबी की रेखा के नीचे हैं और 13 करोड़ आदमी जहां बेकार हैं वहां आज डिमांड होनी चाहिए राइट टू वर्क की और जब इस तरह की बात होगी तो यह भी बात हो जायगी। बिहार की सरकार चार हजार नौकरियां साल में देगी, उस से चार हजार लोग आगे आ जाएंगे। हमें तो यह पागलपन लगता है क्योंकि सचमुच में आज अगर जो फारवर्ड हैं वह यह समझते हैं कि पांच हजार वर्षों की हमारी सम्पत्ति खत्म हो रही है और बैकवर्ड समझते हैं कि कुबेर का सारा खजाना और लक्ष्मी और विष्णु का सारा वैभव हमें मिलने वाला है तो यह ठीक नहीं है। सचमुच में मांग करनी हो तो यह तो ठीक है समाजवाद के दृष्टिकोण से और जनतंत्र के दृष्टिकोण से कि पिछड़े लोगों को विशेष अवसर मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ यह मांग होनी चाहिए कि हमको राइट टू वर्क दिया जाए ताकि गरीबी और बेरोजगारी मिट सकें।

जहां तक कुछ लोगों को नौकरी दे देने की बात है, उस दिन जब सारी बात हो रही थी तो भटनागर जी ने जो कहा था कविता के ढंग में वह बड़ा मार्मिक लगा—उन्होंने कहा कि मेरा डिप्टी सेक्रेटरी पिछड़ी जाति का है तीन हजार रुपए कमाता है उसके लड़के को तो रिजर्वेशन मिल जाएगा लेकिन मेरा चपरासी जोकि ब्राह्मण है उसके लड़के को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री महीलाल (बिजनौर) डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने चपरासी के लड़के के पैर छुए थे और दक्षिणा भी दी थी (व्यवधान)

डा० रामजी सिंह यही कारण है कि महाराष्ट्र में श्री एस० एम० जोशी के बात करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक क्राइटीरिया रखा। इस देश में तथाकथित पिछड़ी जाति के कहलाने वालों में भी सुखी, सम्पन्न और समृद्ध लोग भी हैं और दूसरी ओर दबे, कुचले और गरीब लोग भी हैं जोकि इससे वंचित रह जायेंगे। (व्यवधान)

इसलिए हमें इस बात पर काफी शांति से विचार करना चाहिए। हम अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि जहां काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लोगों ने रद्दी की टोकरी में फेंक कर दिलों को दुखी किया था, आपने नया बैकवर्ड क्लासेज कमीशन का गठन किया क्योंकि संविधान में इस बात का प्रावधान है कि कुछ वर्षों के बाद इसकी जांच होनी चाहिए की स्थिति में क्या सुधार हुआ है, क्या बदलाव आया है। यह जांच कमीशन जांच करके जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट देगा। मुझे विश्वास है कि जो कमीशन बनाया गया है वह काका कालेलकर कमीशन की मेहनत का लाभ उठाएगा और बदली हुई परिस्थितियों में लोगों की जो आपत्तियां और कठिनाइयां हैं उन पर भी ध्यान देगा।

अभी बिहार में जो रिजर्वेशन की बात हुई, एक नए विचार से कुछ हुआ, वहां के मुख्य मंत्री अब तो मुख्य मंत्री नहीं रहे, वहां पर लोगों ने बड़ा आक्रोश किया। मैं समझता हूं सबसे ज्यादा रैशनेल ढंग से बिहार में किया गया, अनेक्जर वन और अनेक्जर टू में भेद किया गया है, जो बढ़े हुए हैं उनको थोड़ा रुकना चाहिए और जो ज्यादा दबे हुए हैं उनको सहायता मिलनी चाहिए। 12 परसेंट अनेक्जर टू के लिए है और 8 परसेंट अनेक्जर वन के लिए है। इसके साथ ही जो तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं, उनमें जो वीकर सेक्शंस हैं, उनको भी 3 परसेंट है और महिलाओं के लिए भी है। जहां तक समाजवाद की बात है और किसी के लिए कुछ कहा जा सकता है लेकिन डा० लोहिया के समाजवाद की सच्चाई पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। डा० लोहिया ने 60 और 40 परसेंट की बात कही थी जिसमें उन्होंने हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी जाति, गरीब मुसलमान, सभी को रखा था। कुछ लोगों ने कहा कि आप 60 परसेंट दे रहे हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि देना तो चाहिए 90 परसेंट, अभी तो मैं 60 परसेंट की बात कर रहा हूं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव की भावना के बिल्कुल साथ हूं और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह रिपोर्ट जल्दी से जल्दी प्रकाशित हो कर आए और उस नये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में, नई जानकारी के आलोक में हम एक सिफारिश दें और केवल एक सिफारिश ही न दें, बल्कि उस को हम कार्यान्वित करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Mr. Chairman Sir, I rise to take part in the discussion on the Constitution Amendment Bill introduced by Shri Yadav which seeks to amend article 16 of the Constitution In this connection, I would like to say that while discussing the Bill we have to discuss the social and political situations that are prevailing in the country, as without it the discussion would be meaningless. If we look to the rural areas, we will find that ownership of land is concentrated in a few hands in the sphere of industries, only a few monopoly

*The orignal speech was delivered in Bengali.

[Shri K. C. Halder]

houses run by a few families are having a strangehold over the means of industrial production and we are made to live in a society which is fragmented in different classes. And because of these, different sio-economic problems are growing. In the present economic set up nearly 60 to 70 per cent of the population is living below the poverty line, the income disparity between one class of people and another is growing and the disparity in income is also growing side by side. Needless to say, Sir, the total cumulative effect of all these disparities has contributed to the ever increasing number of unemployed people in our country. We all know that provisions for reservation of posts in the services have been made for the members of the scheduled castes and scheduled tribes people in our Constitution. But the prevalence of the capitalist economy not only in India but all over the world has created such disparities that problems of the people who are at the lower strata of the society have multiplied manyfold and it is but natural that the minority muslims today are voicing their grievance to say aloud that they are not being given a fair deal. Similarly the Christians too are saying that justice is not being done to them. Demands are being made for prescribing suitable reservation for the different classes. It is a problem which has to be dealt with urgently but while trying to do so we have to go into the root of the problem and should try to eradicate it from its roots as otherwise any piece meal, ad hoc or superficial approach cannot bring about any permanent solution of the problem. Sir, the Janata Party has given a promise to the nation that through Khadi Gram Udyog, Cottage industries and small scale industries which we support, they would be able to eradicate unemployment from this country within the next 10 years. But as long as the capitalist structure of the society is retained, and as long as the class character of the society is retained by the vested interest the people in the villages and cities will continue to be oppressed and victimed and mere pious wishes of the Janata Party will be of no help to the millions of the exploited and oppressed masses of our country. What is really needed is a structural change of our society unless this is done we can never be near to our goal and as I had said in the last Lok Sabha even during this Lok Sabha and as has been suggested by Dr. Ramji Singh, it is necessary to give to every youth of our country a right to work. Every young man who wants to work should be given work and this can be done only by amending the Constitution and making right to work a fundamental right Unless this is done, the problem will grow and become complex and still more complex day by day More and more demands will be made from the different sections of the society and if it is not tackled in a major way, then I am afraid the integration and unity of the nation will be in jeopardy. Therefore I will caution the House and appeal to the members, and particularly the Government that they should not wait any longer. Dr. Ramji Singh may recommend a total revolution but as long as the capitalistic structures of the society continues as long a few capitalist will continue to control the means of production as long as the foreign money continue to have a lion's share of our economy and their profits are repatriated to foreign countries we would never be able to eradicate the evil that the present Bill seeks to do. Therefore, I would like to suggest that in order to achieve our goal we should immediately address ourselves to the task of replacing the present capitalistic economic structure of the society and restructure on a national basis where the welfare of the masses and the exploited millions will have a priority over the welfare and wellbeing of a wealthy few. Secondly, I will suggest that the means of production should be socialised. This by itself will eliminate the formation fo pri-

vate capital and the exploitation by a few and depriving the millions. Thirdly, it is absolutely necessary that the concept of personal profit should be done away with. Once it is done, then the all that will be produced will belong to the society and its people. All the profits will be invested not for the welfare and wellbeing of a few wealthy families and classes but will be shared equally by the poor who produce the wealth today but have not proper share of the profit. As soon as socialisation of the means of production is done, the profit will be invested for the developmental work, and it will generate more cottage and small scale and other industries will thus help us to eradicate the bane of unemployment from our country. Thus we have to strike at the root of the evil and unless we are bold enough or courageous enough to do it, we will go round and round the vicious circle without knowing how to come out of it. I also feel that a piece meal approach to the problem will not yield any result either. Let me make it very clear Sir that my party the CPI (M) supports and will continue to support all justiable demands of the oppressed and exploited sections of the society, the demands of the members of the scheduled castes and scheduled tribes people, the demands of the Muslims, Christians and other minority communities of our country but I will tell them all that we should not approach the problem from a narrow communal angle. If we commit that folly we would never be able to solve the problem. Therefore, I would give a call to one and all to all those who are interested in the welfare of the country, and say gentleman let us unite—let us put an end to total exploitation that is now rampant in our capitalist society, let us work together to unite and consolidate all those who are lagging far behind in the race of social and economic progress, and let us all together give rise to a society which will be free from exploitation and oppression. Ours is an agricultural country and the development of agriculture will naturally form the core of any plan that will seek to help the poor. A proper development of agriculture will depend on a proper distribution of land to the landless and liquidating the present concentration of land in a few hands. We have therefore to legislate and implement a proper land reform procedure which will bring an end to feudal exploitation in the rural areas. This will further enhance the purchasing capacity of the poor, will give birth to more and more industries, both cottage and small, and will provide more employment to the people. If we are able to do this we would be able to create a new society—so very different from the present one—where exploitation will be a forgotten word, where one class will not be pampered at the cost of the other, where the members of the scheduled castes and scheduled tribes will not be treated worse than animals and where the Muslims and the Christians will not suffer from agonising feeling of being given the treatment of a second class citizen. We have to initiate a class struggle through which we would be able to generate an atmosphere of total revolution and proceeding through this path we would no doubt be able to bring about a revolutionary change in our society which will not patronise exploitation, will generate wealth through socialisation of the means of production, will usher in an era of happiness and prosperity for all. It would be society where education and medical facilities will be catered to all free of cost and which will guarantee job to the job seeker. This we can do only by a united and unified approach, by eschewing narrow communal feeling and by organising the exploited and the havenots. If we are able to do it, we would be one of the strongest and the mightiest nation of the world. I thank you Sir, for giving me the opportunity to express my views on this matter.

चौधरी ब्रह्मबीर सिंह (होशियारपुर) : रिजर्वेशन का बड़ा नाजुक मामला है। रिजर्वेशन से जिन लोगों ने फायदा उठाया है वे उस फायदे के मुन्तहिक

[चौधरी बलबीर सिंह]

नही थे। आज उन लोगों को रिजर्वेशन से फायदा पहुंच रहा है जिनकी हालत अच्छी है, जो खुद आई०ए०एस० में हैं। उनके बेटे अच्छे स्कूलो में पढ़ रहे है। उनके पास पूरे पैसे हैं और हर किस्म की उनकी सुविधायें मिली हुई है। इससे मै समझता हू कि संरक्षण का रिजर्वेशन का जो मकसद था वह सारे का सारा खत्म हो जाता है और हो गया है। सरक्षण उनको मिलना चाहिये जिनके पास साधन नही है, जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए है, पढ़ाई लिखाई के मामले मे पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए है। जो अच्छे-अच्छे पदो पर बैठे हुए है उनका आरक्षण का लाभ क्यों मिले? फायदा इसका उनको पहुचना चाहिये जो इसके मुस्तहिक है, जिनको इसकी जरूरत है जिनका समाज मे मकाम ठीक नही है। जिनके लिए रिजर्वेशन रखा गया था उनको इससे फायदा नही पहुच रहा है। वे बेचारे उसी तरह से बैठे हुए है। कोई वक्त था जब समाज मे उनका कम्पटीशन करने का मौका नही मिलना था, उनको हक नही था कि वे या औरतें पढ़ लिख सकें, समाज मे बहुत से लोग थे जिनका वेद पढ़ने का अधिकार नही था। स्वामी दयानन्द ने और आर्य समाज ने इसके बारे में बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा है कि हर आदमी का हक है कि वह बढ सके, उस कोई रुकावट नही आनी चाहिये। महाभारत का किस्सा आपके सामने है। एकलव्य जब द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि मुझे शिक्षा दो, तो उन्होंने कहा कि आपका शिक्षा का अधिकार नही है, आपको शस्त्र और अस्त्र विद्या सीखने का अधिकार नही है, क्योंकि आप उस जाति से है जिनको मै पढा नही सकता हू। तो उस समय समाज मे एक व्यवस्था थी, कुछ लोगों के लिये बंदिश थी, वह समाज में कुछ लोगो के मुकाबले मे नही आ सकते थे। आज जरूरत है इस बात की कि जिनके लिय साधन नही है उन्हे सुविधाए दी जाये।

एक गाव में गरीब आदमी काम करता है, चाहे वह हरिजन है या किसान है। उसके पास साधन नही है। जब लडका स्कूल से घर आता है तो घर पर मा-बाप कहते है कि बैल ले आओ, उन्हें पानी पिला लाओ और इनके लिये घास काट कर ले आओ। दूसरी तरफ जब हरिजन का बच्चा आता है तो उसके घर वाले उस बच्चे को अपने साथ काम के लिये ले जाते है। दूसरी तरफ वे लोग है जो खुद पढ़े हुए है, घर मे बीवी पढ़ी हुई है और उनका बच्चा भी अच्छे कान्वेंट स्कूल मे पढ़ने के लिये जाता है। जब वह बच्चा घर आता है तो उसे हर किस्म की सुविधाए और साधन मिलते है। तो इन अच्छे साधन-सुलभ बच्चो के मुकाबले मे वह बच्चे नही आ सकते है, जिनके पास कोई सुविधा या साधन उपलब्ध नही है। उन लोगो के लिये आज जरूरत है कि हम उनके लिये कोई आरक्षण दें। हम उन लोगों के लिये इस किस्म की सहूलियतें दें कि वह उनके मुकाबले मे आ सकें जिनको सारी सहूलियतें मिली हुई हैं। उनका, वह बच्चे किसी भी जगह मुकाबला कर सकें। लेकिन आज इसके उलट बात होती है। आज जिनके लिये हमने यह रिजर्वेशन रखी है, उनको तो फायदा नही पहुंचता। अब एक क्लास पैदा हो गई है, चाहे वह हरिजन है या बैकवर्ड क्लास है या दूसरी आदिवासी जाति के हैं, वह एक क्लास है और सिर्फ उस क्लास के लोगो को फायदा है, उन्हीं को फायदा पहुच रहा है। इसके लिये यह जरूरी है कि हम यह देखें कि जिन को साधन नहीं मिले है, समाज मे लगातार पिछडे रहे है, जिनका शोषण किया गया है उनको मदद दे। नौकरियों वगैरा की बात खत्म हो जाती है, अगर हम हर हाथ को काम दें।

जो विधेयक इन्होने पेश किया है, वह एक महदूद दायरे मे है। अगर हम हर हाथ को काम दे, तो उसके लिये रेज्यूलूशन लाना चाहिये, अपने विधान में सशोधन करें कि हर आदमी को काम मिले और उसमें इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी न हो। हम कम-से-कम और ज्यादा-से- ज्यादा जहा तक हो मुकर्रर कर दें कि इतना मिलेगा। आज जो नौकरियो के लिये दौड़ है उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो डेढ़ सौ और 200 रुपये मिलते है और दूसरी तरफ हजारो और लाखो रुपये मिल रहे है। तो इस डिस्पैरिटी के कारण भी लडाई है।

बाहर के देशो मे जो जाने वाले है, वह जानते है कि वहा जो हाथ से मेहनत का काम करते है, उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है। जो व्हाइट कालर लोग है, उनको वहा कम पैसा मिलता है, लेकिन जो भट्टी के आगे खड़े होकर काम करते है, उनका ज्यादा पैसा मिलता है। जो दफ्तर मे एयर कंडीशन्ड मे जाकर बैठते हैं कागज का काम करते है, उन्हे कम मिलता है और जो बाहर काम करते है उनको ज्यादा मिलता है। आज जो पूजीपति देश है, वहा दूसरी व्यवस्था है। वहा हाथ से मेहनत करने वाले की इज्जत है, लेकिन यहा हाथ से मेहनत करने वाले की इज्जत नही है। जो सफाई का काम करता है, उसे पैसा भी कम है, समाज म सम्मान भी कम है। जो आदमी कोई काम नही करता, दफ्तर मे पखे के नीचे बैठा कागज देखता रहता है, उसे यहा ज्यादा पैसा मिलता है और मान भी ज्यादा है। जैसा डा० रामजी सिह ने कहा है, आज सारे समाज के ढाचे का बदलने की जरूरत है। हमें ऐसा इन्तजाम करना चाहिए कि काम करने वाले और मेहनत करने वाले के लिए समाज में इज्जत हो, उसको पेट भर रोटी और पहनने के लिए कपड़ा मिल सके। हर एक आदमी को काम मिले, और अगर सरकार किसी को भी काम न दे सके, तो उसे बेकारी एलाउंस दिया जाये। जिन देशो को पूजीवादी देश कहा जाता है, अगर वहां पर हिन्दुस्तान से गये किसी आदमी को इमीग्रेशन का पर्चा मिल जाये और वहां ठहरने का हक मिल जाये, और अगर वह आदमी, जिसका वहा की धरती और वहा के समाज से कोई ताल्लुक नही है, जिसका रग और नस्ल वहां के लोगो से अलग है, वहा एम्लायमेंट एक्सचेंज मे अपना नाम लिखाता है, तो 48 घंटो में कोई काम न मिलने पर सरकार उसे बेकारी एलाउंस देती है। जिस आदमी का उस देश से कोई ताल्लुक नही है, जो उस देश का ही नहीं है, लेकिन अगर उसे एक पर्चा मिल जाये कि वह देश में ठहर सकता है, तो उसे काम करने का हक मिल जाता है।

अगर हमारे देश में भी हर हाथ को काम मिले, तो वह रिजर्वेशन वगैरह का सब चक्कर खत्म हो जाता है। जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी हमने कहा था कि हम हर हाथ को काम देंगे।

इस देश की धरती में हर एक चीज मौजूद है। यहां पानी है, जमीन अच्छी है, हर किस्म का मौसम है, हर चीज पैदा होती है। जब यहां पर काम करने वाले हाथ हैं, काम करने वाले दिमाग मौजूद हैं और दौलत देने वाले धरती है, तो फिर हमारे देश में कमी क्या है? —कमी है सिर्फ आर्गेनाइजेशन की, तरतीब की और हमारे संकल्प की। अगर हमारा संकल्प हो, तो हम हर आदमी को काम दे सकते हैं और आदमी को उसकी जरूरत के मुताबिक दे सकते हैं। इस तरह हमारा हर आदमीदेश की तामीर में जुट जायेगा।

जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, बहुत से लोगों को उसकी वजह से बिला-वजह फायदा हो रहा है। सरकार यह तय कर दे कि जिन लोगों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक—इकानामिक साशल और एजूकेशनल—हालात अच्छे हो चुके हैं वे लोग इससे फायदा न उठा सकें और जिन लोगों के पास ये सब सुविधाये नहीं है, उनको इस से फायदा मिल सके। अगर ऐसा इन्तजाम हो जाये, तो हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा, देश तरक्की कर सकेगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) सभापति महोदय, मैं एक कहानी से अपना भाषण शुरू करता हूं। हमारे धर्म-ग्रन्थों में कथा है कि जब देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ था, तब समुद्र-मन्थन किया गया था। उसके लिये पहाड़ को मथानी और नाग को रस्सी बनाया गया था। सवाल यह उठा कि नाग का मुंह कौन पकड़—देवता पकड़ें या दानव पकड़। देवताओं ने कहा कि हम लोग नाग का मुंह पकड़ने वाले नहीं है, हम तो उसकी पूंछ पकड़ेंगे। तब दानवों ने नाग का मुंह पकड़ा और समुद्र-मन्थन हुआ। समुद्र में से हीरे, जवाहरात और नव रत्न निकले, और एक अमृत का घड़ा भी निकला। तब यह विवाद होने लगा कि अमृत कौन पियेगा। दानवों ने कहा कि कमाने वाला खायेगा, हम लोगों ने नाग का मुंह पकड़ा है, अमृत का घड़ा हमें मिलना चाहिये। देवता यह नहीं चाहते थे, लेकिन वे यह बात सीधे कैसे कह? तो उन्होंने कहा कि इसके लिये पंच-निर्णय कराया जाये। भगवान विष्णु ने मोहिनी, सुन्दरी, का रूप धारण किया, और उन्होंने कहा कि मैं जो बात कहूंगी, वह सब को माननी पड़ेगी। दानवों और देवताओं ने कहा कि ठीक है। मोहिनी मुस्कराती तो थी दानवों की तरफ देख कर, मगर अमृत का घड़ा बढ़ाती थी देवताओं की तरफ। घड़ा इस तरह बढ़ते बढ़ते जब देवताओं की तरफ चला जा रहा था तो उस में एक दानव होशियार था—राहु। राहु ने देखा कि यह तो सब घड़ा उधर ही बढ़ जायेगा तो उस ने क्या किया कि भेष बदल कर और देवता का रूप धारण कर देवताओं की श्रेणी में जा कर वह बैठ गया। जब वहां जा कर बैठ गया तो उस को भी अमृत मिल गया। जब उसने अमृत पी लिया तो वह तो अमर हो गया। देवताओं ने देखा कि एक दानव ने अमृत पी लिया है तो उन्हों ने विष्णु भगवान से कहा कि यह तो दानव है, इस ने अमृत पी लिया। तब विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए चक्र लिए हुए और चक्र से उस दानव की गर्दन उन्होंने काट दी। तो उस के दो हिस्से हो गए जो राहु और केतु के नाम से आज तक चले आ रहे हैं। तो आज भी हम लोग राहु और केतु के नाम से विख्यात हैं। आज पांच हजार वर्षों से और पिछले तीस वर्षों की कांग्रेस हुकूमत में यही स्थिति रही कि माहिनी रूपी सरकार मुस्कराती तो है गरीबों की तरफ देख कर और उस का अमृत का घड़ा खुला हुआ बड़े बड़े लोगों के लिए, टाटा बिरला के लिए। यह बात अभी भी हम लोगों के दिमाग में न आये, हमारी समझ में न आये तो आश्चर्य की बात है।

हमारे नेता बलवीर सिंह जी बैठे हुए हैं। वह जानते हैं, हम लोग जिस स्कूल के विद्यार्थी हैं उस में हमेशा हमें यही पढ़ाया गया है कि ससोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें सौ में साठ।

इसके पहले रूप नाथ सिंह जी यादव का रिम्वल आफ सोशल डिसएबिलिटीज का बिल आया था। उन्होंने तो हुबहू उसी लाइन पर अपना बिल रखा है कि 60 प्रतिशत स्थान पिछड़े लोगों के लिये आप सुरक्षित कीजिये। मैं आपको संविधान की तरफ अब ले चलता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी पाटिल साहब स्वयं विद्वान और एक बहुत बड़े वकील हैं, वह जानते हैं, इस में कहीं इसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। आप देखिये कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 15(4) को, उस में लिखा हुआ है—

15(4) "Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes"

फिर आप आर्टिकल 16(4) को देखिए, उस में लिखा हुआ है—

16(4) "Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से उस में दिया है। इसलिये यह जो तर्क दिया जाता है कि यह नहीं हो सकता, यह ठीक नहीं है। इस में दो चीजें सामने आती हैं। अभी काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट की बात की गई। डाक्टर साहब ने उस के बारे में कहा। लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं, मुझ को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि जानवर के दो मुंह होते हैं या सांप को दो जीभ होती हैं लेकिन आदमी की भी दो जीभ हो जाय, यह पहली बार इस सदन में आने के बाद देख रहा हूं। भूतपूर्व

[श्री राम विलास पासवान]

प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हरिजनों के लिए रोज आंसू बहाती हैं लेकिन बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने कहा कि हम हरिजनों को हथियार देंगे, यह बेमेल लड़ाई नहीं चलने वाली है कि एक तरफ राइफल और बन्दूक हो और दूसरी तरफ निहत्थे हरिजन हों, यह हम नहीं चलने देंगे और बेमेल लड़ाई नहीं होगी, या तो दोनों को हथियार मिलेगा और नहीं तो दोनों के हथियार छीन लिये जायेंगे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी का दूसरे दिन अखबारों में बयान आ गया कि हरिजनों को हथियार देना गलत है—श्रीमती इंदिरा गांधी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) . दो मुंह से बोलती हैं न।

श्री राम विलास पासवान दो जीभ से।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। 1953 में 21 जनवरी को डा० राजेन्द्र प्रसाद जी जो उस समय के राष्ट्रपति थे उन्होंने काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। 1955 में काका कालेलकर आयोग ने एक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और 1979 में हम लोग उस पर विचार करने के लिये बैठे हुए हैं। 55 में रिपोर्ट दी गई और 24 वर्ष बाद हम लोग फिर बैठे हैं उस पर विचार करने के लिये। और फिर प्रधान मंत्री जी ने कह दिया कि हम दूसरा आयोग गठित करते हैं। अब दूसरे आयोग के अध्यक्ष हैं श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल। 24 वर्ष तक इन का कार्यकाल चलेगा। दो वर्ष बाद यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे और उस रिपोर्ट को खटाई में डाल दिया जायेगा। 24 वर्ष बाद तीसरे प्रधान मंत्री आयेंगे, वह कह देंगे कि आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आ गया है, इसलिए हम एक तीसरा आयोग गठित करते हैं। तो आप कमीशन के ऊपर पैसा खर्च कीजिये, और चीजों पर खर्च कीजिये, लेकिन आप की नीयत कहीं साफ नहीं है।

इसलिये मैंने कहा कि जब तक नीति और नीयत—दोनों साफ नहीं होंगी शासन की तब तक देश का भला नहीं होगा। डाक्टर साहब ने जो बात कही वह ठीक कही। जब जब इस देश का राजा उच्च जाति का रहा, मंत्री ब्राह्मण रहा तो वह स्वर्ण काल नहीं कहलाया। स्वर्ण काल तभी कहलाया जब चन्द्रगुप्त राजा हुए। छत्रपति शिवाजी का शासन सब से अच्छा माना गया। इसलिये यह कहना कि चूंकि यह पिछड़े लोग हैं, इन को कोई पोस्ट देंगे तो सम्भाल नहीं पायेंगे—यह बिल्कुल गलत है। वर्तमान शासन की नीयत बिल्कुल साफ है इसलिये वह अपनी नीति को भी स्पष्ट कर दे।

यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जाता है। मैं जनता पार्टी के मैनीफैस्टो का हवाला देना चाहता हूं। दो साल से अधिक हो गए हैं, अगर यह सम्भव नहीं था तो आप ने जनता के बीच में क्यों इस को प्रचारित किया? मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक रिजर्वेशन में विश्वास रखने की बात है, अभी भी मधु लिमये जी हैं, राज नारायण जी हैं, मामा बालेश्वर दयाल हैं, श्यामनन्दन जी मिश्र हैं, जेठमलानी जी हैं—इस मामले में कहीं दो रायें नहीं हैं। इस देश का सौभाग्य रहा है कि पिछड़े लोगों की लड़ाई को ऊंचे कुल के लोगों ने ही लड़ी है। यहां पर काका कालेलकर की बहुत चर्चा की जाती है, वे पंडित थे, ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट बड़े स्पष्ट रूप में पेश की थी।

जनता पार्टी ने अपने मनीफेस्टो में लिखा है :

"जनता पार्टी का मत है कि समाज के इन पिछड़े वर्गों तथा शिक्षा और सम्पन्नता की दृष्टि से उन्नत वर्गों के बीच जो खाई है उसको शीघ्रता से तभी पाटा जा सकता है जब कि पिछड़े वर्गों के लिये विशेष व्यवहार की नीति अपनाई जाये। अतएव पार्टी इन वर्गों को शिक्षा और रोजगार के विशेष सुयोग देगी। कालेलकर आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिये 25 से लेकर 33 प्रतिशत तक नौकरियां सुरक्षित की जायेंगी। हरिजनों को मकान बनाने के लिये जमीन दी जायेगी।"

अब सवाल उठता है क्या सरकार को यह पावर है कि वह 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण कर सके? मैं संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन जैसा मैंने संविधान को पढ़ा और समझा है, उसके मुताबिक संविधानिक दृष्टिकोण से इस पर कोई रोक नहीं है। आप देखें कि 1971 की एक रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट का आन्ध्र प्रदेश के संबंध में, ए आई आर, पेज 1710 पर आप देखें .

"That in adjusting the claim of both the weaker and the stronger elements, the reservation for the former should be ordinarily less than 50 per cent although no flexible percentage could be fixed and the actual reservation must depend upon the relevant prevailing circumstances in each case."

इसमें भी कहीं रोक नहीं लगी है कि आप 50 परसेंट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने दो बातें कही हैं। आज इस देश में ऐसा मौका आ गया है जब कि आप पिछड़े लोगों को बहुत दिनों तक दबाए नहीं रख सकते हैं। पिछड़े लोगों का एक बवण्डर पूरे देश में जो चला है उसको सम्भालने के दो ही रास्ते हैं। आज हरिजनों को कत्ल करने की बातें सामने आती हैं, हरिजनों पर एट्रोसिटिज होती हैं—इसको आप रोक नहीं सकते हैं। कल तक हमारे बाप दादा को कोई थप्पड़ मार देता था तो हमारे बाप दादा उसको सह लेते थे लेकिन आज हम इस पोजीशन में हैं कि अगर कोई भी हमको आंख दिखलायेगा तो हम भी उसकी आंखें बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में संघर्ष होगा ही और इसको कोई रोक नहीं सकता है।

जहां तक मनु स्मृति की बात है—मैंने तो उसे देखा नहीं है और न पढ़ा है—लेकिन यह आम किंवदन्ती है कि अगर कोई अछूत खटिया पर बैठ जाए, तो उसके चूतर काट लो, अगर किसी के कान में वेद का उच्चारण

हो आए तो उसके कान में सीसा डाल दो, कोई वेद का उच्चारण कर दे तो उसकी जीभ काट लो। इस तरह की भावना पहले से बनी हुई है। आज मैं भी अपने से नीचे वाले को देखता हूं तो मुझे खुशी होती है, मैं समझता हूं मैं ऊंची जाति का हूं। इसी तरह से विनायक बाबू जब मुझे देखते है तो उनको भी खुशी होती है लेकिन जब उनके ऊपर किसी ठाकुर की लात पड़ती है तो उनको भी गुस्सा आता है। इस तरह की जो भावना है उसको दबाने के दो ही तरीके हैं। जमीन के गर्भ में तो गरम पत्थर है वह धीरे धीरे निकल जायें वरना ज्वालामुखी फूटेंगे और बवण्डर आयेंगे।

तो मैं यह कहता हूं कि हिन्दुस्तान में उस तरह का ज्वालामुखी नहीं फूटेगा और इसके लिए मैं अपनी सरकार से और जनता पार्टी की जो हकूमत है उससे, और अपने मंत्री श्री पाटिल साहब से आग्रह करूंगा कि पाटिल साहब आज इस बात को कबूल कीजिए कि समाज में जो जनरल रूल है उसके अपवाद में श्री जगजीवन राम हैं। जगजीवन राम जी सच नहीं है और पिछड़ी जातियों में सब लोग ही एजुकेशनली और सोशली आगे नहीं है, उनमें बहुत से लोग इस मामले में बहुत बैकवर्ड हैं।

इन्होंने डा० राजेन्द्र प्रसाद की बात कही। डा० राजेन्द्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तब उनको अपने चपरासी के पांव छूने पड़े क्योंकि वह ब्राह्मण थे। जगजीवन राम की आप बात करते हैं। वाराणसी में उनके साथ क्या हुआ? श्री जगजीवन राम जी ने जिस मूर्ति का अनावरण किया उसको धोया गया। तो कैसे इस बात को हम नजरअन्दाज कर सकते हैं। समाज में जो ऐसी बातें होती है, उनको हम नजरअन्दाज न करें और इसलिए मैं आपसे कहता हूं और पहले भी मैंने कहा था कि 'एक व्यक्ति एक रोजगार'। एक परिवार में एक रोजगार आप कर दें लेकिन, आज हम क्या देखते हैं कि एक परिवार है, उसमें एक भाई कल कारखाने का मालिक है, दूसरा भाई चार हजार बीघा जमीन का मालिक है, तीसरा भाई आई० ए० एस० बनने के बाद सेक्रेटरी होकर राज्य चलाएगा और चौथा भाई राजनीति में मंत्री बनकर राज्य चलाएगा यानी एक परिवार का चारों तरफ वर्चस्व है। उसको हम खत्म नहीं करते हैं। अभी इस हाऊस में एक बिल आया था, यमुना प्रसाद जी का एक बिल आया था कि राइट टू जौब होना चाहिए, जिसको सरकार ने नहीं माना। सरकार जब राइट टू जौब नहीं मान सकती है, सरकार जब एम्प्लायमेंट एलाऊन्स नहीं दे सकती है, तो हमने जो एक बिल उम्र की सीमा के बारे में यहां पर मूव किया है कि 25 साल की बजाय 50 साल नौकरी के लिए उम्र की सीमा हो और उस उम्र में जब नौकरी मिलेगी, तो दो, तीन साल नौकरी में रहेंगे। जब आप कुछ नहीं कर सकते, तो शोषित पीड़ित लोगों के मन में आक्रोश का होना स्वाभाविक है और मैं समझता हूं कि मौजूदा परिस्थितियों में श्री विनायक प्रसाद जी का जो विधेयक है, वह सही है। पहले यह नारा लगाया जाता है "सलोपा ने बांधी गांठ" —अब जनता पार्टी बन गई है, तो यह नारा लगाना चाहिए "जनता पार्टी ने बांधी गांठ", "पिछड़ा पावें सौ में साठ"। जो तमाम पिछड़ा वर्ग है, दलित और पीड़ित लोग हैं।

सभापति महोदय अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राम विलास पासवान मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। यह बात नहीं है कि जो हमारा रिज़र्वेशन है इससे हमारी आर्थिक समस्या का निदान हो जाएगा। यह बात सही है कि इससे हमारी समस्या का निदान होने वाला नहीं है। यदि सरकारी अफसर ईमानदारी पूर्वक रहें, तो मरने के समय उनके पास एक पैसा भी नहीं रहता है। यह भी आप देखिये कि यदि एक गरीब घर का लड़का है या हरिजन का लड़का है और वह करोड़पति है, तो उसको भी सलामी करनी पड़ती है जातिगत व्यवस्था के आधार पर लेकिन उसी हरिजन का लड़का अगर डी० एस० पी० या एस० पी० बन जाता है तो कोई भी जाति के लोग हों, कुर्सी के डर से उनको उसकी सलामी करनी पड़ती है। इसमें समाजिक न्याय की बात है और इसमें और कुछ नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय म० जी से आग्रह करूंगा कि वे इस बिल को सहज स्वीकार कर लें जिससे कम से कम आगे आने वाला इतिहास, आगे आना वाला समय यह बतला सके कि जनता पार्टी की जब हकूमत थी तो उसने पिछड़े वर्गों के लिए कुछ काम किया।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) सभापति महोदय, वास्तव में यह जो आज विधेयक आया है, इसकी भावना का तो मैं आदर करता हूं परन्तु यह विधेयक अपनी सीमाओं को लांघ गया है। इसलिए मुझे खेद के साथ इसका विरोध करना पड़ रहा है।

मैं ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहता लेकिन इसके पहले एक शब्द पर ही मुझे आपत्ति है। इसमें 'वर्ण' शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं यह बताना चाहूंगा कि कि 'वर्ण' और 'जाति' में अन्तर होता है। वर्ण व्यवस्था के आधार जन्म नहीं, गुण, कर्म और स्वभाव है। दुर्भाग्यवश, वह आधार समाप्त हो गया है और जन्म ने उसका रूप ले लिया है अन्यथा गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर कोई भी योग्यता प्राप्त करके ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है और वैश्य बन सकता है और कर्म से वह ऐसा हो सकता है। तो यह जो व्यवस्था है इसने जन्म का रूप ले लिया है, जो कि एक विकृत रूप है और जिसके खिलाफ रेवोलूशन होना चाहिए। चाहिए तो यह था कि वर्तमान जन्मगत जातियों को तोड़ने के लिए आज एक विधेयक आता और कोई रेवोलूशन होता। श्रद्धेय जय प्रकाश नारायण जी ने इसी सामयिक रेवोलूशन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था और समग्र क्रान्ति का यही अर्थ था कि जन्म पर आधारित मोनापोली को तोड़ा जाए। आप ने आरक्षण की बात कही है। नौकरियों में आरक्षण, मैं समझता हूं, संसार के किसी भी देश में, जहां पर प्रजातन्त्र के आधार पर शासन चलता है, आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लेकिन

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

यहां हमारे संविधान के बनाने वालों ने इस देश की परिस्थितियों का ध्यान करके आरक्षण लागू किया। क्योंकि शताब्दियों से कुछ वर्गों को जानवरों से भी बुरी हालत में फेंक दिया गया था। उन्हें कुओं पर चढ़ने नहीं दिया जाता, घरों में आने नहीं दिया जाता, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। उन्हें एक प्रकार से नगरों से दूर फेंक दिया गया। ऐसी स्थिति में वे हर दृष्टिकोण से पिछड़ गये। इसीलिये आजादी के बाद हमारे देश के नेताओं ने उन्हें संरक्षण देना आवश्यक समझा। मैं समझता हूं कि उन्होंने यह बुद्धिमानी का काम किया। अगर वे यह नहीं करते इस प्रकार से उन्हें आरक्षण नहीं देते तो वे इस देश के प्रति भी अन्याय करते और इन वर्गों के प्रति भी अन्याय करते। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे देश का सामाजिक आर्थिक ढांचा सभी कुछ लड़खड़ा जाता। उन्होंने यह किया इस के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

17 hrs

लेकिन उन्होंने इस के लिए आधार बनाया कि जो देश में सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं और विशेष रूप से पिछड़े हुए हैं उन को विशेष सुविधायें दी जायें। उन्होंने प्रारम्भ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के वर्गों को इस में रखा था कि सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं। लेकिन इस पर मैं यह कहना चाहूंगा कि जो विशेष कानून बनाया गया वह केवल आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ों के लिये नहीं था बल्कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से भी पिछड़े हुए थे उन के लिये था। उस समय के कानून बनाने वालों ने इसलिए यह भी कानून बनाया कि अगर कोई हरिजन या अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर के किसी और धर्म में जिसे कि सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ नहीं माना जाता है चला जाता है तो उसे मिलने वाली सुविधायें समाप्त कर दी जाएं। इस बात की व्यवस्था हमारे संविधान में है।

सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जो लोग पिछड़े हुए हैं और जिनको अभी आरक्षण के लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं उनका अधिकार है कि वे आरक्षण की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करें। लेकिन इस मामले में मैं यह समझता हूं कि जो लोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नत हो गये हैं और जो अभी अनुसूचित जातियों की कोटि में हैं उनके बारे में गवर्नमेंट को अपनी पालिसी में परिवर्तन करना चाहिए और उनको आरक्षण से प्राप्त होने वाली सुविधाएं बन्द कर देनी चाहिए। आगे से आरक्षण का लाभ और सुविधाएं उनको ही मिलनी चाहिए जो कि अभी सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं। दुर्भाग्यवश हो यह रहा है कि जो सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण दोनों से उन्नत बन गये हैं और जिन्होंने इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर लिया है वे ही इन सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं। वास्तव में इन सुविधाओं का लाभ और आरक्षण का लाभ अब उन लोगों को मिलना चाहिए जिन तक यह लाभ अब तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए गवर्नमेंट को अपनी पालिसी में परिवर्तन करना चाहिए ताकि वास्तव में जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, वे उठ कर खड़े हो जाएं और उन्नत समाज का अंग बन जाएं। जब तक वे यह नहीं बन पाते हैं तब तक उनके लिए आरक्षण चालू रखना चाहिए।

इस संविधान विधेयक में कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दें। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग आखिर कौन है? पिछड़े वर्ग का आधार क्या है? दुर्भाग्यवश इस देश में पहली सरकार द्वारा और इस सरकार द्वारा भी एक बहुत भारी भूल की जाती रही है जिसका कि अगर सुधार नहीं किया गया तो इस देश में संकीर्ण साम्प्रदायिकता जातिवाद और वर्गभेद कभी समाप्त नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि पिछड़ा वर्ग कौन है? अल्पसंख्यक कौन है बहुसंख्यक कौन है? क्या जन्म के आधार पर जो इस वर्ग में आते हैं क्या उन सभी को देश के हित के दृष्टिकोण से संरक्षण मिलना चाहिए? क्या अपने अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने के लिए संरक्षण मिलना चाहिए? परन्तु सरकार को संरक्षण धर्म या जन्म के आधार पर नहीं देना चाहिये। आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए हैं उन लोगों को सहायता मिलनी चाहिये। ऐसे लोग जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं उनको भी विशेष संरक्षण मिलना चाहिये। मेरी दृष्टि में सरकार को उनको संरक्षण इस रूप में प्रदान करना चाहिये कि उनके बच्चों की स्कूलों में फीस माफ हो और चाहे जहां तक पढ़ना चाहें, पढ़ सकें बिना फीस के। पूरा उनको स्कालरशिप मिले उनको बाहर जाने के लिए स्कालरशिप मिले उनके लिए एज की कोई लिमिट न हो। कम्पीटीशन में जो बैठना चाहें उनके लिए विशेष क्लासिस लगाई जाएं ताकि वे योग्यता प्राप्त कर सकें और कम्पीटीशन्ज में आ सकें।

वर्तमान सूची जो पिछड़े वर्गों की है उसको आप देखें। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि ऐसा करने से किसी की भावना को ठेस पहुंच सकती है। मैं अपने गांव से देखता हूं। वहां पर कुछ लोगों ने बाकायदा प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। उनके पास चार पांच हजार एकड़ जमीन है बड़े बड़े महल हैं। कल परसों मैं हरियाणा गया हुआ था। कुम्हार जो पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल है, मैं देख कर हैरान हो गया कि उसका एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था। चूंकि किसी ने पिछड़े वर्ग में जन्म लिया है इस लिए वह आर्थिक सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है इसके बारे में सरकार को फिर से सोचना होगा विशेष सुविधा कहां आप दें, कहां न दें इसको आपको देखना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े लोग हैं उनको आप विशेष सुविधायें दें। अब आप लाइसेंस बांटें, परमिट बांटें वे आप उनको दें। फैक्ट्रियों के लिए बिजिनेस के लिए बैंकों से सहायता आप उनको दिलाएं। जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं उनको पहले सहायता मिलनी चाहिये, जहां

परमिट मिलने चाहियें। दिल्ली में ही आप देख लें। पूरी मार्किट में आपको पिछड़े वर्ग के आदमी की कोई दुकान नहीं मिलेगी, किसी भी हरिजन की दुकान नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि शहर के अन्दर दुकानें बनाई जाएं तो उनको दुकानें बीच में दी जाएं उन दुकानों के और परमिट लाइसेंस ट्रेनिंग आदि दे कर उनको आप बिजिनैस और फैक्ट्रियों में प्रवेश दें, उनका आप उन में प्रवेश कराएं।

मैं ईस्ट अफ्रीका में गया था। वहां की सरकार ने पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने की चेष्टा की है। केनिया की सरकार ने एक कानून बनाया कि जो जंगली लोग हैं अफ्रीकी लोग हैं उनको जब तक किसी भी कंसर्न में पार्टनर नहीं बना लिया जाता है, एक्टिव पार्टनर नहीं बना लिया जाता है और बिना उसकी पूंजी के उसको पार्टनर नहीं बना लिया जाता है तब तक किसी भी कंसर्न को और लाइसेंस नहीं मिलेगा, उसको स्वीकृति नहीं मिलेगी। तीस साल हो गए हैं, अगर हमारे देश में ऐसा काम किया गया होता और इस प्रकार का कानून बना दिया गया होता तो पिछड़े वर्ग के लोग हमारे बराबर आ कर खड़े हो सकते थे, सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन कानून बनाने वाले और शासन करने वाले ऐसे लोग थे जो इस प्रकार की बात नहीं चाहते थे। आप सीलिंग को ही लें। देश में भूमि पर सीलिंग का कानून बनाया गया। यह कहा गया कि इससे भूमिहीनों को भूमि मिलेगी। लेकिन कोई भी भूमि इस कानून से आपको नहीं मिली। आप ने कानून तो बना दिया लेकिन कुत्ता, बिल्ली, बैल तक के नामों पर भूमि करा करा कर इस सीलिंग के कानून से लोग बच निकले और एक भी एकड़ भूमि आपको इस सीलिंग के कानून से नहीं मिल सकी। जो भूमिहीन थे वे ज्यों के त्यों भूमिहीन बने हुए हैं। कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन जिन के हाथ में था उनके ही दिल में बेईमानी थी, उनके ही दिल में इन लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं थी और यह सब उसका नतीजा है। विशेष रूप से आरक्षण के लिए मैं कह रहा हूं कि मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए और औरों के लिए भी जिन को इसकी आवश्यकता है। लेकिन मेरी दृष्टि में जन्म और धर्म के आधार पर आरक्षण नौकरियों में नहीं होना चाहिये। केवल आर्थिक दशा सुधारने ही नहीं अपितु पूरे देश का शासन उन लोगों के हाथ में होगा जो नौकरियों में आएंगे। वे इंजीनियर डाक्टर बनेंगे और देश के कर्णधार बनेंगे। नौकरियों में समझता हूं योग्यता के आधार पर दी जानी चाहियें और जन्म और धर्म के नाम पर किसी को नौकरी में आरक्षण देना सिद्धान्ततः मैं गलत समझता हूं। जितनी बात स्वीकार की हुई है गवर्नमेंट ने उसको मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि उनको शताब्दियों तक दबा करके रखा गया है और इस वास्ते उनके संरक्षण को हम टच न करें। लेकिन आगे जो तरक्की है और दूसरे वर्ग जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं उनका भी ख्याल किया जाए। उन्नत वर्गों के ऊपर लगाम लगाई जाए और पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाया जाए और ऊपर इस ढंग से उठाया जाए कि देश के प्रशासनिक ढांचे में कोई फर्क न पड़ने पाए। अगर बाड़ ही जिस को हमने संरक्षण के लिए बनाया है वह खेत को खाने लगेगी तो बात गड़बड़ा जाएगी। इसलिए मुझे माफ कीजिये, मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैं इसका सिद्धान्ततः विरोध करता हूं। यह विधेयक, अच्छी भावना होते हुए भी देश के लिये हितकर नहीं है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (प्रतापगढ़) : समाजवाद कैसे आयेगा ? आप विरोध कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : समाजवाद, आर्थिक दृष्टिकोण से लड़ाई लड़ेंगे तब आयेगा। धर्म और जन्म के नाम पर लड़कर न कभी समाजवाद आया है और न आ सकेगा।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, श्री विनायक प्रसाद यादव के बिल के संदर्भ में मैं यह कहूंगा कि उनकी भावना वस्तुतः सही है क्योंकि आजादी को 32 साल हो चुके हैं लेकिन इतने दिनों के बाद भी इस तरह की भावना जोर पकड़ रही है कि नौकरियों में आरक्षण होना चाहिये।

कल ही हमने अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय के विषय पर जब विचार चल रहा था तो यही सुना कि अल्प संख्यकों का चरित्र उसका होना चाहिए, माइनोरिटी करैक्टर होना चाहिये। यह सब बातें हो रही हैं और इतने वर्षों से हरिजन व आदिवासी अलग अलग आन्दोलन कर रहे हैं।

संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 के अन्दर यह बताया गया था कि समाज के कमजोर वर्गों की निरन्तर उन्नति की जायगी, उन्हें प्रोत्साहन दिया जायगा, ऊपर उठाया जायगा। उनका सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से इतना विकास किया जायगा कि वह समानता के लैवल पर आ सकें। संविधान की प्रस्तावना में भी समानता, स्वतंत्रता और भाई चारे की भावना आदि सारी बातें हैं लेकिन बराबर यह आवाज दी जाती रही है कि समाजवादी व्यवस्था लायेंगे। कभी अन्त्योदय और कभी सर्वोदय और नाना प्रकार की बातें होती रही हैं। इस के बावजूद भी स्थिति यह है कि कमजोर वर्ग दौड़ तो रहा है, इसमें दो मत नहीं हैं, उनकी स्थिति बदली तो है लेकिन अपेक्षाकृत यह बहुत कम हुआ है। इसलिये चारों तरफ एक तरह से वर्ग संघर्ष की स्थिति सारे देश में पैदा हो गई है। अगर संविधान में दी गई भावनाओं और प्रावधानों का अनुसरण ठीक से किया गया होता, केवल किताबों में ही जानकारी पड़ी नहीं रहती तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए जितनी भावनाएं या प्रावधान थे, उनका मनसा वाचा कर्मणा के हिसाब से हमारे प्रतिनिधियों या, सरकार चलाने वालों को काम करना चाहिये था लेकिन उनकी कथनी और करनी में कोई सामंजस्य

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

नहीं था। उसी का परिणाम यह हुआ है कि आज 32 वर्ष के बाद भी इस तरह की बातें हो रही हैं जब कि संविधान में 20 वर्ष के आरक्षण की बात थी। लेकिन इस अवधि को 32 वर्षों तक चलाया गया है और आगे भी बढ़ाया जा रहा है और फिर बैकवर्ड का कमीशन बनाया जा रहा है। आज इसकी जरूरत क्यों है, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से समाज का उत्तरोत्तर विकास हो जाना चाहिये था। लेकिन यह साफ जाहिर करता है कि हमारे पीछे की जितनी सरकारें बनी हैं सब की नियत साफ नहीं थी। भाषण में कहते रहे कि सामाजवादी व्यवस्था लायेंगे समाज बाद में लगता है कि व्यक्तिवाद पहले और समाजवाद बाद में डिविजुअलिज्म फर्स्ट और सोशलिज्म बाद में। जितने नेता हुए हैं उनके भाषण सुन्दर और अच्छे होते हैं लेकिन जब उनकी बातों को कार्यान्वित करने की बात आती है तो वह बिल्कुल कुछ नहीं हो पाता है। यही कारण है कि समाज में बहुत गहरी खाई बनाई हुई है। अगर यह संशोधन भी हो जाता है तब भी उस खाई को मिटाया नहीं जा सकता है। जब तक व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना नहीं आती है जब तक देश और समाज की प्रति सहानुभूति दिल में नहीं होती है तब तक कोई भी संशोधन का कानून जमीन पर नहीं उतर सकता है और इस लिए हरिजन आदिवासियों बैकवर्ड क्लासिज समाज वर्गों का विकास सम्भव नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य की भावना वस्तुतः जमीन पर है।

बिहार में आरक्षण के नाम पर सरकार गिरी और बनी। यू० पी० में भी वही स्थिति हुई और यह प्रवृत्ति देश के प्रायः हर एक प्रान्त में बढ़ रही है। इससे स्पष्ट होता है कि समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए इस लिए आज लोग अन्तोदय की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अन्तोदय किस का? केवल भाषणों से अन्तोदय नहीं हो सकता है। प्रश्न यह है कि नीचे के लोगों को ऊपर उठाने के लिए क्या काम किया गया है, उनका कितना विकास किया गया है और उनका स्तर कितना ऊपर उठा है। अगर भावनाओं को कार्य रूप में परिणत नहीं किया जाता है, अगर हमारे विचार केवल किताबों और सिद्धान्तों तक ही सीमित रह जाते हैं तो समाज का हित कभी भी नहीं हो सकता। 32 वर्ष हो गये हैं पचास वर्ष के बाद भी समाज जहां का तहां रह जायगा। जो लोग बढ़ रहे हैं वे वातावरण के प्रभाव से बढ़ रहे हैं। बहुत से उच्च विचार और भावनायें व्यक्त की जाती हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर नहीं उतारा जाता है।

यह सही है कि जनता सरकार के आने बाद सम्पूर्ण क्रान्ति या सम्पूर्ण क्रान्ति का एक वातावरण बहुत जोरों से बना है, और समाज के पद दलित वर्ग से ले कर उच्चतम वर्ग तक में एक भाव अंकुरित हो उठा है कि वे किस तरह आगे बढ़ें बीसवीं सदी की वैज्ञानिक चकाचौंध में वे पीछे न रह जायें। आज इसके पीछे नये आयोग, नये विचार और नई जागृतियां काम कर रही हैं। 1977 से आज तक जनता की सरकार है। लोग अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं चाहे वे सरकार के पक्ष में हों या विरोध में।

जब बिहार में हरिजनों पर जुल्म हुआ तो श्रीमती इन्दिरा गांधी हाथी पर सवार हो कर—और हाथी की तरह ऊंची भावना लेकर—वहां गईं लेकिन जब बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि हरिजनों को आत्म रक्षा के लिये हथियार दिये जायें, तो उन्होंने उसके विरोध में विचार व्यक्त किये। हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। उस तरह की भावना से देश का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर समाज का कल्याण करना है, तो उसका शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से विकास होना चाहिए। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है।

आज ब्राह्मण क्षत्रिय और अन्य जातियों में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आर्थिक दृष्टि से हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के समतुल्य हैं। उनकी भी एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए। अगर किसी परिवार का एक आदमी किसी क्लास वन क्लास टू, गजटिड या नान गजटिड पोस्ट आई० ए० एस० आई० एफ० एस० या आई० पी० एस० में नियुक्त हो जाता है, तो उस परिवार को बैकवर्ड क्लासिज की लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और उसे फार्वर्ड की सूची में जोड़ देना चाहिए चाहे वह परिवार किसी भी वर्ग का हो। अगर किसी हरिजन परिवार का कोई व्यक्ति रिजर्वेशन से लाभान्वित हो जाता है, तो उसका भी बैकवर्ड क्लासिज की लिस्ट से निकाल देना चाहिए और फार्वर्ड क्लासिज की लिस्ट में जोड़ देना चाहिए। और फिर दूसरे लोगों को जो उसी बैकवर्ड हरिजन और आदिवासी में से बच जांय उन को दूसरी लिस्ट में रख कर निश्चित रूप से उन को स्थान दें। जो एक आगे बढ़ जाय वह उस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं।

इसी तरह जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन में भी जो गरीब तबके के हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है उनकी भी लिस्ट बननी चाहिए, इसके द्वारा ही इनका भी उत्थान हो सकता है। यह सरकार का विचार केवल विचार रह जाये तो यह ठीक नहीं है और यही कारण है कि इतने वर्षों के बाद जितनी नौकरियां हैं उनमें कुछ ही वर्गों के लोगों के लिए आवाज आती है कि उच्च वर्ग के लोगों की संख्या देश में 15 प्रतिशत है और नौकरियों में इस वर्ग के लोग 90 प्रतिशत हैं तथा पिछड़े, हरिजन और आदिवासियों की संख्या 85 प्रतिशत है लेकिन नौकरियों में ये लोग 15 प्रतिशत हैं। तो उचित नहीं है। हम समझते हैं कि हर वर्ग के अंदर गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं चाहे वह ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य कोई भी हो, उनको न्यायोचित ढंग से लिस्ट बनाकर स्थान मिलना चाहिए और जिस परिवार में जिस किसी को भी नौकरी मिल जाय उन को डिलीट करके दूसरे लोग जो बच जांय उन की लिस्ट बनाकर उनको स्थान दिया जाय ताकि समाज के जो पिछड़े

वर्ग के लोग हैं उनका उचित स्थान मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल की भावनाओं का समर्थन करता हूं।

MR. CHAIRMAN: I will call Mr. Mahilal. That is the last name. There are two other speakers also with me.

As per time schedule, 2 hours will be over by 5.33 p.m. Moreover, there are certain other items also—Bills to be introduced. I do not know what to do. Hon Members do not give their names earlier so that a proper estimate can be framed. What happens is that at the start of the discussions of the Bill, there were only two names So the first speaker was given a longer time. Now it will be difficult and it will be against the interests of the hon. Members who are waiting here to move their Bills I think the House should co-operate

PROF. P. G MAVALANKAR (Gandhinagar) Members get ideas only after listening to some of the speeches!

श्री विनायक प्रसाद यादव सभापति महोदय यह बहुत इम्पार्टेंट बिल है और दूसरे माननीय सदस्य का जो है वह भी महत्वपूर्ण है तो उस को भी मूव करवा दिया जाय और इसको कन्टीन्यू रखें।

सभापति महोदय ऐसा विधान के अनुसार नहीं हो सकता।

श्री विनायक प्रसाद यादव तो इस को चलने दिया जाय।

MR. CHAIRMAN: It cannot be done only for some members who come late and want to speak. I think it is not a good precedent and it will not be fair also. If the members are serious, they should give their names early so that a proper planning can be done as to how much time can be allotted to each member.

Now, Mr. Mahilal—you will take only 5 minutes.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): I have a Bill. My Bill is a very important one affecting lakhs and lakhs of Bidi workers who are the most exploited in the country. And it seems that all these people are the least concerned about these exploited workers.

MR CHAIRMAN: I am afraid now it cannot be finished today.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN. Anyway you are not interested in the interests of the Bidi workers

MR. CHAIRMAN: Everybody is interested, but how can we help it?

I am told the hon Speaker has been kind enough to permit you.

Mr. Mahilal

श्री मही लाल (बिजनौर) सभापति महोदय, आरक्षण की मांग सामाजिक और आर्थिक विषमता के उदर से पैदा हुई है। सामाजिक और आर्थिक विषमता से केवल अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां और पिछड़ी जातियां ही पीड़ित और दुखी हों, ऐसा नहीं है। अभी मुझे एक दो दिन पहले उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक सूचना मिली है। वैश्य परिवार में पैदा होने वाले एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का नाम शेर सिंह था। बलिया जिले में मान्यता है कि सिंह पद केवल क्षत्रियों के नाम हो सकते हैं। वैश्य परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति का नाम सिंह पद नहीं हो सकता। तो शेर सिंह साहब सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को केवल इस लिए पीटा गया है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कि वैश्य परिवार में पैदा होते हुए उन्होंने अपना नाम शेरसिंह क्यों रखा। इस उदाहरण से आपको अनुमान हो जायगा कि हमारा पूरा समाज सामाजिक विषमता का शिकार है, कोई कम और कोई ज्यादा। वैश्य परिवार के लोग भी सिंह का नाम होने के कारण पिट सकते हैं, जबकि सम्पन्न हैं, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं। चूंकि उनका नाम शेर सिंह था इसलिए उनको पीटा गया और वह भी एक कलक्टर के बंगले पर। (व्यवधान) इस बात का मुझे पता नहीं है कि कलक्टर हरिजन था या नहीं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आरक्षण की मांग सामाजिक और आर्थिक विषमता के पेट से पैदा हुई है। अब एक सामाजिक जागृति आई है इसलिए आप इस मांग को रोक नहीं सकते हैं जब तक कि सामाजिक आर्थिक विषमता समाप्त नहीं हो जाती।

MR. CHAIRMAN: Mr. Mahi Lal, just a minute May I know the House how much time is required for this

[Mr. Chairman]

Bill? The hon. Minister has to reply and then the mover has also to reply to this. How much time more does the House want to give to this Bill—not to-day—for the next time?

SEVERAL HON. MEMBERS. Another half-an-hour.

SHRI K. LAKKAPPA: Please do not take away my time.

SHRI R. L. KUREEL (Mohanlalganj): One hour may be given next time.

PROF. P G MAVALANKAR: You said that initially there were only two members who had given their names.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: You have indicated to us that you have got two more names. And then the Minister has to reply. The mover has also reply. Two hours only were allotted for this Bill. In this way you go on adding the names in the list as and when the Members give their names. I say that there should be not more than half-an-hour's time given to this bill.

MR CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that the time should be extended by half-an-hour?

SEVERAL HON MEMBERS: Yes, yes.

PROF P. G MAVALANKAR: No more names should be added to the list.

MR. CHAIRMAN: Mr Mahi Lal, you may finish your speech next time. Next time the hon. Minister and the mover only will reply Now, the Speaker has permitted Shri Saugata Roy to introduce his Bill Mr Saugata Roy.

17.28 hrs.

COMPANIES (AMENDMENT) BILL*

(Substitution of Sections 275, 276, etc.)

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 1956.

MR CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 1956"

The motion was adopted.

SHRI SAUGATA ROY: Sir, I introduce the Bill.

MR CHAIRMAN: Mr Ram Jethmalani. Mr Speaker has permitted him.

EMERGENCY COURTS BILL

SHRI RAM JETHMALANI (Bombay-North West): I move for leave to withdraw the Bill to provide for establishment of Emergency Courts for the trial of a certain class of offences.

SHRI K LAKKAPPA (Tumkur): Sir, it is dangerous to do so. You black-mailed this Parliament Now he is withdrawing the Bill on establishment of Emergency Courts I charge you have conspired and showed vindictiveness for the establishment of special court and have blackmailed the Parliament by now withdrawing your Bill

MR CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to Shri Ram Jethmalani to withdraw the Bill to provide for establishment of Emergency Courts for the trial of a certain class of offences".

The motion was adopted.

SHRI RAM JETHMALANI: I withdraw the Bill.